

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सं०सं०-पि०व०/छात्रवृत्ति-55-01/2010-42

प्रेषक,

रवि परमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल मार्ग,
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-3-9-12

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 में "मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2012 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र/छात्रा को 10,000/- रू० (दस हजार रुपये) मात्र की दर से वृत्तिका के रूप में देने हेतु कुल रू० 2000.00 लाख (बीस करोड़ रुपये) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 में मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2012 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा को 10,000/- (दस हजार रुपये) मात्र की दर से वृत्तिका के रूप में देने हेतु बजट उपबंधित कुल रू० 2000.00 लाख रू० (बीस करोड़ रुपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कुल भारत व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य योजना मॉडल संख्या-11 के अंतर्गत आय-व्यय व्ययक बजट शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-277-शिक्षा-0101-शिक्षा के कूट संख्या-3401 छात्रवृत्ति/वजीफा, राज्य योजना स्कीम कोड-BCW-5461 विपत्र कोड-P2225032770101" के अधीन कुल बजट प्रावधान रू० 2000.00 लाख रुपये (बीस करोड़ रुपये) मात्र से भारत होगा।

3- इस राशि की निकासी पदाधिकारी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे।

4- यह राशि बिहार के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णता के आधार पर संबंधित छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र/छात्रा जो वर्ष 2012 को प्रथम श्रेणी में दसवीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उत्तीर्ण हुए हैं का जाति प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र एवं अंक पत्र के जाँचोपरान्त उचित पहचान कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के आधार पर जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा एकमुश्त राशि रू० 10,000/- (रुपये दस हजार) मात्र का भुगतान खाता भुगतये बैंक ड्राफ्ट/चेक/e-Z Pay Card के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी निकासी की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे तथा एक प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 दिनांक 17.04.98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

7- इस राशि की स्वीकृति पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8- स्वीकृत राशि योजना उद्ब्यय एवं बजट उपबंध के अंतर्गत है।

9- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

अनु०- यथोपरि।

Sup
(रवि परमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- पि0व0/छात्रवृत्ति-55-01/2010-

42

पटना-15, दिनांक-3-9-12

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सभी जिलापदाधिकारी/ सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/लेखाशाखा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना (दोहरी प्रति में)/सभी उप निदेशक, कल्याण/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- पि0व0/छात्रवृत्ति-55-01/2010-

42

पटना-15, दिनांक-3-9-12

प्रतिलिपि- सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- पि0व0/छात्रवृत्ति-55-01/2010-

42

पटना-15, दिनांक-3-9-12

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट <http://bcebcwelfare.bih.nic.in> पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

